न्यायालय–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,बस्तर,स्थान–जगदलपुर(छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी–डी.आर.देवांगन)

CNR NO.CGBA01.–000860–2019

दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक–28/2019

संस्थित दिनांक–13.08.2019
आरक्षी केन्द्र–परपा, जगदलपुर
अपराध क्रमांक – 16/2017

बेला भाटिया पिता राजपाल भाटिया,उम्र–56 वर्ष,
निवासी–जी–4, दण्डकारण्य कॉलोनी,
धरमपुरा नम्बर–01,जगदलपुर,
जिला–बस्तर,(छ.ग.)..... .... पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थिया

//वि रू ध्द//

छ.ग.शासन द्वारा,
जिला–दंडाधिकारी,बस्तर(छ.ग.)....... ....उत्तरवादी/अभियोजन

न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (श्री अच्छेलाल काछी) जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.) द्वारा अपराध क्रमांक – 16/2017 पक्षकार शासन विरूध्द अज्ञात अभियुक्तगण, अंतर्गत धारा – 147,506 भा.दं.वि. में पारित खात्मा आदेश दिनांक – 08.04.2019 से उत्पन्न आपराधिक पुनरीक्षण।

पुनरीक्षणकर्ता/स्वयं सुश्री बेला भाटिया, अधिवक्ता।
उत्तरवादी की ओर से श्री अखिलेश्वर दास, अपर लोक अभियोजक।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक–30.09.2021 को पारित किया गया)

01. पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थिया ने धारा–379 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उपर वर्णित न्यायालय द्वारा लम्बित अपराध क्रमांक – 16/2017 (छ.ग.राज्य विरूध्द अज्ञात आरोपीगण) में पारित आदेश दिनांक – 08.04.2019 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थिया की

ओर से प्रस्तुत लिखित शिकायत पर थाना–परपा के अपराध क्रमांक–16/2017 अंतर्गत धारा–147, 506 भा.दं.सं. में विवेचक द्वारा किये गये अनुसंधान पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत खात्मा स्वीकृति आवेदन पत्र को स्वीकार किया है।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, प्रार्थिया सुश्री बेला भाटिया ने एक लिखित शिकायत पत्र दिनांक–27 जनवरी 2017 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि, वह समाज शास्त्री एवं मानव अधिकार कार्यकर्ता है। प्रार्थिया बेला भाटिया दिसम्बर 2015 से परपा गांव में कोतवाल पारा में किराये के मकान में निवासरत थी। उक्त अवधि में कई अवसरों पर बाहरी समूहों ने बस्तर व गांव छोडने का दबाव, प्रार्थिया एवं उसके मकान मालिक पर बनाया था, किन्तु गांव के किसी व्यक्ति ने प्रार्थिया से गांव छोडने विषयक कथन नहीं किया। दिनांक–23 जनवरी 2017 को करीब 12.30 बजे जब प्रार्थिया गांव के हैंडपम्प पर खडी फोन कर रही थी, तभी सफेद रंग की बलेरो सी.जी.17/3056 और दो–3 मोटर साईकिलों में सवार युवा पुरूष उतरे एवं प्रार्थिया की पालतू कुतिया सोमारी को काट देंगें एवं घर को आग लगाने के लिये ''केरोसिन लाओ'' कहने लगे। वे लोग प्रार्थिया से घर खाली करने को भी कह रहे थे। प्रार्थिया ने कुछ समय चाहा तो उनके लीडर ने ''अभी खाली करो नहीं तो जला देंगें, '' की धमकी दी।प्रार्थिया ने घटना की जानकारी तत्काल कलेक्टर को भी दी। आरोपियों का यह तांडव पुलिस के आने के बाद भी जारी रहा।प्रार्थिया द्वारा आरोपियों की तस्वीर भी खींची गई और पुलिस द्वारा भी घटना के वीडियो बनाये गये। वे लोग बेला भाटिया मुर्दाबाद, नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। सरपंच पति भी बाहर से आये लोगों से मिले हुये थे। पूर्व में भी विभिन्न तिथियों पर भिन्न भिन्न तरीकों से प्रार्थियां को गांव छोडने बाबत परेशान किया जाता रहा है। प्रार्थिया द्वारा अग्नि संस्था और पुलिस के द्वारा मिलकर, प्रार्थिया को मानव अधिकार कार्यकर्ता के रूप में कार्य न करने देने के उददेश्य को परेशान करने की शिकायत की गई है। प्रार्थिया बेला भाटिया की ओर से उनके पति ज्यां द्रेज ने उक्त लिखित शिकायत थाना परपा में पेश की। जिसके आधार पर थाना परपा जगदलपुर के द्वारा अपराध ंपजीबध्द कर विवेचना प्रारम्भ की गई। अनुसंधान

पश्चात अपराध क्रमांक–16 / 2017 में खात्मा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

03. विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त आवेदन–पत्र को विचार में लेकर इस आदेश की कंडिका 01 में वर्णित तथ्यों के अनुसार आदेश पत्रक दिनांक–08.04.2021 के अनुसार आदेश पारित किया है। उक्त आदेश में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी परपा की ओर से प्रस्तुत खात्मा स्वीकृति आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है। जिससे क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणकर्ता / प्रार्थिया ने यह पुनरीक्षण याचिका इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

04. पुनरीक्षणकर्ता / आरोपी के पुनरीक्षण याचिका का आधार एवं तर्क संक्षिप्त में इस प्रकार रहा है कि :–

01. विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय विधि एवं प्रक्रिया विरूध्द होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

02. प्रार्थिया द्वारा पूर्व की घटनाओं की जानकारी की पृष्ठभूमि में अनेक घटनाओं को जोडने का प्रयास करते हुये, प्रश्नगत घटना दिनांक को हुई घटना का उल्लेख किया गया है।

03. अपीलार्थी अपने कथन में काटने और धमकाने की बात नहीं कहीं है।

04.किसी भी प्रार्थी से ही यह अपेक्षा कि वह सारे सबूतों को दे, उचित नहीं है ?

05. पुलिस हेमन्त धुव्र उर्फ टाकलू को क्यों नहीं ढूढ पाई जबकि वह दि.24.10.2018 से जगदलपुर जेल में बंद था ?

06. गाडी नम्बर के आधार पर पुलिस बोलेरो वाहन के मालिक को नहीं ढूढ पाई ?

07. प्रार्थी ने एफ.आई.आर. में सदैव परपा थाना का जिक्र किया है जबकि आलोच्य आदेश में दरभा थाना लिखा है।

05. उत्तरवादी / अभियोजन की ओर से भी पुनरीक्षणकर्ता / प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा – 397 दं.प्र.सं. पर मौखिक आपत्ति व्यक्त की गई है।

06. पुनरीक्षणकर्ता / प्रार्थिया का तर्क सुना गया एवं थाना – परपा के अपराध क्रमांक–16 / 2017 की केस डायरी आहूत किया गया है, तथा इसके साथ–साथ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भी आहूत कर अवलोकन किया गया।

07. **प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :–**

क्या विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा थाना परपा,जगदलपुर के अपराध क्रमांक –16 / 2017 में पारित खात्मा स्वीकृति आदेश दिनांक–08.04.2019 अवैध, अनियमित, अशुध्द एवं औचित्यहीन होने से अपास्त किये जाने योग्य है ?

निष्कर्ष एवं उसके आधार

08. इस संबंध में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि, जब कभी किसी दर्ज अपराध की संबंधित थाने द्वारा दर्ज अपराध की खात्मा हेतु अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, तब संबंधित मजिस्ट्रेट को निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निम्न तीन विकल्प प्राप्त होते है :–

(01) प्रथम विकल्प के रूप में वह संबंधित थाने द्वारा दर्ज अपराध की खात्मा चाक को स्वीकृत कर, प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही रोक सकता है।

(02) द्वितीय विकल्प के रूप में वह संबंधित थाने द्वारा दर्ज अपराध की खात्मा चाक को स्वीकृत न कर, अतिरिक्त अन्वेषण करने की निर्देश संबंधित थाने को दे सकता है।

(03) तीसरा विकल्प अर्थात् अंतिम विकल्प के रूप में वह संबंधित थाने द्वारा दर्ज अपराध की खात्मा चाक को अस्वीकृत कर अपराध का संज्ञान लेकर संबंधित आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अग्रसर हो सकता है।

09. चूंकि इस प्रकरण में दर्ज अपराध के आरोपीगण का पहचान न हो सकने के कारण, तथा अज्ञात आरोपीगण की गिरफ्तारी न हो सकने से अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को उक्तानुसार तीसरा

विकल्प उसे प्राप्त था, जिससे वह संबंधित थाने द्वारा दर्ज अपराध की खात्मा चाक को अस्वीकृत कर अपराध का संज्ञान लेकर संबंधित आरोपीगण के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अग्रसर हो सके।

10. इस प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्तानुसार प्रथम विकल्प का प्रयोग करते हुये, संबंधित थाने के द्वारा दर्ज अपराध की खात्मा चाक को स्वीकृति प्रदान कर प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही को समाप्त कर दिया है, जिससे क्षुब्ध होकर प्रकरण की प्रार्थिया ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की उक्त खात्मा चाक की आलोच्य स्वीकृति आदेश को इस पुनरीक्षण याचिका में चुनौती देकर अपास्त करने की प्रार्थना की गई है। इस प्रकार यह देखा जाना है कि, **क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थिया द्वारा दर्ज कराई गई अपराध की खात्मा चाक को स्वीकृति प्रदान करने में न्यायोचित रहा है ? या वह उपरोक्तानुसार उसे प्राप्त द्वितीय विकल्प के रूप में प्रकरण में अतिरिक्त विवेचना किये जाने का निर्देश दिया जाना न्यायोचित होता है ?**

11. इस संबंध में प्रकरण के विवेचना अधिकारी द्वारा प्रार्थिया के साथ–साथ घटना को देखे एवं सुने जाने वाले अनेक साक्षीगण का पुलिस कथन दर्ज किया है, किन्तु प्रार्थिया के साथ–साथ किसी भी साक्षी ने घटना को कारित करने वाले किसी भी आरोपीगण का स्पष्ट पहचान नहीं बताया है। तब थाना प्रभारी के द्वारा यह कहते हुये खात्मा चाक की स्वीकृति बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया कि ''प्रार्थिया श्रीमती बेला भाटिया के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपीगण की गिरफतारी हेतु पता तलाश हेतु अथक प्रयास किया गया, परन्तु अज्ञात आरोपीगण का पता नहीं चला, अनावश्यक लंबित होने से प्रकरण में खात्मा चाक की गई है।'' इस प्रकार इस प्रकरण में आरोपीगण का पहचान प्रार्थिया एवं साक्षीगण के द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बताने तथा पहचान हेतु अथक प्रयास करने के बावजूद भी आरोपीगण का पता नही चल पाने से संबंधित थाने द्वारा खात्मा चाक की गई। केस डायरी के अवलोकन से यह नहीं कहा जा सकता कि, विवेचना अधिकारी ने संबंधित आरोपीगण का पहचान उजागर करने संबंधी कोई प्रयास नही किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जब संबंधित थाने द्वारा आरोपीगण का पहचान सुनिश्चित करने हेतु अथक प्रयास करने के बावजूद भी आरोपीगण का पतासाजी न चल पाने के आधार पर पुनः संबंधित थानेदार को इस हेतु अतिरिक्त विवेचना किये जाने का निर्देश दिया जाना उचित न होता। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा संबंधित अपराध में थाना प्रभारी फ्रेजरपुर द्वारा प्रस्तुत खात्मा चाक की स्वीकृति दिये जाने में वह न्यायोचित रहा है।

12. अतःविद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित खात्मा स्वीकृति सम्बन्धी आलोच्य आदेश दिनांक–08.04.2019 की पुष्टि की जाती है तथा प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

13. आदेश की प्रतिलिपि सहित विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख एवं थाना–परपा, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.) के अपराध क्रमांक–16 / 2017 की केस डायरी वापस किया जावे।

14. पुनरीक्षण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश हस्ताक्षरित,दिनांकित
कर पारित किया गया।

DUKHIRAM DEWANGAN
Digitally signed by DUKHIRAM DEWANGAN
Date: 2021.10.01 11:36:09 +0530

आदेश मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

DUKHIRAM DEWANGAN
Digitally signed by DUKHIRAM DEWANGAN
Date: 2021.10.01 11:36:15 +0530

स्थान– बस्तर,स्थान–जगदलपुर
दिनांक–30.09.2021
प्रतिलिपि :–

01. न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्टेट,जगदलपुर,जिला–बस्तर (छ.ग.) आपराधिक प्रकरण क्र.16 / 2017 शासन विरूध्द बेला भाटिया को मूल अभिलेख के साथ सूचनार्थ प्रेषित।
02. अपर लोक अभियोजक, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.) को अभियोजन हेतु निःशुल्क प्रदाय हेतु।
03. थाना प्रभारी–परपा, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.) को अपराध क्रमांक–16 / 2017 की केस डायरी के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

DUKHIRAM DEWANGAN
Digitally signed by DUKHIRAM DEWANGAN
Date: 2021.10.01 11:36:23 +0530